बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

1813
24.10.14

संकल्प

विषयः– निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण–पक्ष) के अधिनस्थ औ0 प्र0 संस्थानों (महिला सहित) में योजना / गैर योजना अन्तर्गत मशीनों, टुल्स एवं उपकरणों के क्रय हेतु केन्द्रीय क्रय समिति का गठन।

श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) में विभागीय संकल्प संख्या–2669 दिनांक–27.11.2009 के द्वारा राज्य के सरकारी औ0 प्र0 संस्थानों (महिला सहित) में मशीनों, टुल्स एवं उपकरणों (लेखन सामग्री एवं कच्चा माल छोड़कर) के क्रय हेतु आपुर्तिकर्त्ताओं एवं दरों का निर्धारण करने के लिये केन्द्रीय क्रय समिति का गठन किया गया था।

इस समिति को नए सिरे से पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस आलोक में निम्नानुसार केन्द्रीय क्रय समिति पुनर्गठन किया जाता है–

(क)	निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना	–	अध्यक्ष
(ख)	उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना	–	सदस्य
(ग)	उद्योग विभाग द्वारा मनोनित सदस्य	–	सदस्य
(घ)	विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार	–	सदस्य
(ड.)	मुख्यालय में पदस्थापित संयुक्त निदेशक / वरियतम उप निदेशक प्रशिक्षण	–	सदस्य सचिव
(च)	निदेशक द्वारा मनोनित औ0 प्र0 संस्थान के दो (2) प्राचार्य	–	सदस्य
(छ)	वाणिज्य कर विभाग के प्रतिनिधि (जो उप सचिव स्तर से अन्यून हो)	–	सदस्य

केन्द्रीय क्रय समिति, निदेशालय एवं औ0 प्र0 संस्थान(महिला सहित) के प्राचार्य के कार्य एवं दायित्वः–

1– निदेशालय द्वारा औ0 प्र0 संस्थानों (महिला सहित) में आवश्यक मशीन, टुल्स एवं उपकरणों के क्रय हेतु राष्ट्रीय / राज्य स्तर पर निविदा आमंत्रित की गई है। केन्द्रीय क्रय समिति प्राप्त निविदाओं पर विचार कर विभिन्न मशीन, टुल्स एवं उपकरणों हेतु आपूर्तिकर्त्ता का चयन एवं दर का निर्धारण करेगी।

2– केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा अनुमोदित, दर के आलोक में निदेशालय / प्राचार्यों द्वारा आपूर्तिकर्त्ता को क्रयादेश दिया जायेगा।

3– मशीन, टुल्स एवं उपकरणों को औ0 प्र0 संस्थानों (महिला सहित) में आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के उपरान्त उसकी गुणवत्ता की जाँच कर संतुष्ट हो जाने पर संबंधित प्राचार्य उक्त मद में आवंटन से आपूर्ति कर्त्ताओं को निर्धारित दर के अनुसार नियमानुसार भुगतान करेंगे।

4– सामग्रियों के क्रय, आपूर्ति एवं भुगतान में किसी प्रकार का विवाद होने पर क्रय समिति उसपर विचार कर अन्तिम निर्णय लेगी।

5– उपरोक्त क्रय में बिहार सामग्री खरीद अधिमानता नियमावली 1975 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों तथा अन्य नियमों का पालन किया जायेगा।

6– इस समिति का कार्य काल तीन वर्षों के लिए होगा अथवा तब तक के लिए जब तक इस समिति का पुर्ण गठन नहीं हो जाता है।

7– सरकार बिना कारण बताये कभी भी इसे विघटित कर सकती है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण के सूचनार्थ इस संकल्प को राजपत्र के साधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं संबंधित लोगो को इसकी प्रति दी जाय।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– **टी–3 / क्रय निति एवं प्रक्रिया–44 / 2009–**1813 / प ट ना, दिनांक– 24.10.14

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को सूचना एवं अगामी साधारण अंक में प्रकाशन तथा सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने के निमित्त प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– **टी–3 / क्रय निति एवं प्रक्रिया–44 / 2009–**1813 / प ट ना, दिनांक– 24.10.14

प्रतिलिपिः–गठित केन्द्रीय क्रय समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– **टी–3 / क्रय निति एवं प्रक्रिया–44 / 2009–**1813 / प ट ना, दिनांक– 24.10.14

प्रतिलिपिः–सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना / आई0टी0मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग / निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना / सभी उप निदेशक प्रशिक्षण, बिहार, पटना / क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी, पटना / परीक्षा नियंत्रक, पटना / सभी सहायक निदेशक प्रशिक्षण सभी प्राचार्य, औ0 प्र0 संस्थान (महिला सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना